यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता,अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान, हरिद्वार के माह 04/2019 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर°एन° यादव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी°के° श्रीवास्तव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त.) द्वारा दिनांक 26/10/2020 से 04/11/2020 तक श्री जे°एम°एस° रावत/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिंदम चटर्जी/स°ले°प°अ° एवं श्री जोगिंदर सिंह/लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.08.2019 से 26.08.2019 तक निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2016 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप: पाईप लाइनों का अनुरक्षण एवं जल कर कलेक्शन।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः हरिद्वार, रुड़की एवं लक्सर।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं-

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आधिक्/ बचत	आवंटन	व्यय	आधिक्/ बचत
2018-19	-	-	1166.80	1165.81	- 0.99	16.18	16.68	+ 0.50
2019-20	-	-	1474.95	1473.95	- 1.00	449.00	448.20	- 0.80
2020-21	-	-	593.32	593.32	0.00	268.86	268.76	- 0.10

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	**शून्य**					
2019-20						

2. इकाई को बजट आवंटन जिला योजना एवं राज्य योजना के माध्यम से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'ब'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड

मुख्य महा-प्रबन्धक, जल संस्थान

महा-प्रबन्धक, जल संस्थान

अधीक्षण अभियंता, जल संस्थान

अधिशासी अभियंता, जल संस्थान

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **09/2020 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु** चयनित किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- II (अ)

प्रस्तर 1:-₹1,36,91,722.00 के गबन की जांच में शिथिलता बरती जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार की लेखापरीक्षा नवम्बर 2020 में पाया गया कि खण्ड के क्षेत्रान्तर्गत मंगलौर एवं लक्सर इकाईयों के जल मूल्य के रूप में काटी गयी रसीदों के सापेक्ष कुल ₹ 13691722.00 संग्रह किये गये राजस्व को यथा स्थान संचालित संग्रह खातों में जमा नही किया गया था। यह भी देखा गया कि एक ही कर्मचारी को तीन-तीन महत्वपूर्ण प्रभार सौपे गये थे यथा सहायक अभियन्ता लक्सर इकाई में सब डिविजन लिपिक, कनिष्ठ अभियन्ता इकाई लक्सर में लिपिक एवं कनिष्ठ अभियन्ता इकाई मंगलौर में लिपिक। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा ईकाईयों के लिपिक द्वारा ही काटी गयी रसीदों के सापेक्ष संग्रह किये गये राजस्व को जांच कर यथा स्थान बैंक में जमा किया जाता है एवं सबडिविजन लिपिक द्वारा सभी धनराशियों को रिकन्साईल किया जाता है। अतः एक ही कर्मचारी को तीनों महत्वपूर्ण प्रभार सौपना व्यवस्था में भारी चूक थी। पत्रावलियों के अवलोकन में निम्न संग्रह खातों में धनराशिया कम पायी गयी थी:-

<u>वर्ष 2018-19 एवं 2019-20</u>

खाता	**खाता संख्या**	**कम पायी गयी धनराशि (₹) वर्ष 2018-19 एवं 2019-20**
1.संग्रह खाता लक्सर	PNB 4132000100211607	1728256.00 4960472.00
2.संग्रह खाता लण्डौरा	PNB 0761000100111613	1997247.00 735807.00
3.संग्रह खाता मंगलौर	PNB 2506000100130002	1639867.00 2630073.00
	TOTAL	**13691722.00**

अतः स्पष्ट था कि उपरोक्त संग्रह खातों में ₹ 13691722.00 की राशि कम पायी गयी/गबन की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा सूचना का अधिकार से सम्बन्धित पत्रावलियों की नमूना जांच में यह भी पाया गया कि लगभग 1186 रसीदे जो विगत वर्षो से सम्बन्धित थी का पुस्तांकन भी सम्बन्धित संग्रह केन्द्रों पर नही पाया गया था जिसकी जांच भी अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया कि प्रकरण की जांच अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर लम्बित है एवं प्रकरण से सम्बन्धित सभी अभिलेख जांच अधिकारी के पास प्रेषित है जांच अधिकारी की रिपोर्ट आने पर तदानुसार कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर संतोषजनक नही था क्योंकि उपरोक्त प्रकरण विभागीय धन के गबन से सम्बन्धित होने पर भी इस मामले में शिथिलता बरती जा रही थी लेखापरीक्षा तिथि (नवम्बर 2020) तक न तो सम्बन्धितों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी थी एवं न ही वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकी थी।

अतः ₹ 13691722.00 के संभावित गबन के प्रकरण पर कार्यवाही में विभागीय शिथिलता बरते जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1:- खंड के अंतर्गत विभिन्न विभागो के सापेक्ष जल परिव्यय की कुल धनराशि `191.43 लाख की वसूली लम्बित रहना ।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश स0 118/उनतीस (1)/2013-(59पे0)/2004 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 29 जनवरी 2013 के अनुपालन मे उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुसूची 4 मे दर्शाई गयी दर से जल कर परिव्यय कीवसूली की जानी है। अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड, जलसंस्थान, हरिद्वार के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2020) में पाया गया कि उत्तराखंड जल संस्थान के अधीन विभिन्न उपखण्डों के अंतर्गत विभिन्न विभागो के सापेक्ष निम्न तालिका अनुसार धनराशि वसूल की जानी लंबित थी। जिसकी वसूली वर्तमान तक नहीं की जा सकी थी जबकि उक्त धनराशि विभाग की आय का मुख्य स्त्रोत है।

क्रम स0	**इकाई का नाम**	**बकाया धनराशि (` मे)**
1	Zone-I	3243061.00
2	Zone-II	9413370.00
3	Zone-III	468059.00
4	Laksar	509494.00
5	Roorkee	5509717.00
	कुल योग	**19143701.00**

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड दारा उत्तर मे तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि खंड द्वारा समय-समय पर संबंधित विभागों को नोटिस/पत्राचार के माध्यम से अवशेष जमा करने हेतु सूचित किया जाता है एवं भू-राजस्व के माध्यम से भी अवशेषों की वसूली हेतु कार्यवाही की जाती है।

खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खंड के अंतर्गत उपरोक्त विभागो से विगत कई वर्षो के सापेक्ष जल-कर परिव्यय की कुल धनराशि `191.43 लाख की वसूली की जानी लंबित है जिस पर विलंब शुल्क का भी प्रविधान है।अत: विभिन्न विभागों के सापेक्ष लंबित जल कर परिव्यय की वसूली के लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- II (ब)

प्रस्तर 2:- UP Water Supply and Sewerage Act 1975 तथा 14th Finance Commission की Report के दिशानिर्देशों का अवहेलना कर 77117 घरेलू – अघरेलू संयोजन में मीटर विहीन जलापूर्ति किया जाना।

14 वें वित्त आयोग रिपोर्ट भाग-15 के प्रस्तर संख्या 15.50 के अनुसार मार्च 2017 तक राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में शत प्रतिशत मीटर संयोजन पूर्ण किया जाना था तथा नया संयोजन मीटर के साथ किया जाना था। इसी प्रकार U.P. Water Supply and Sewerage Act 1975 के Chapter VII के बिन्दु संख्या 69 के अनुसार- "The Jal Sansthan may provide a water meter and attach the same to the service pipe in premises connected with water works of the Jal Sansthan" का प्रावधान था। उपरोक्त के विपरीत संस्थान द्वारा शत प्रतिशतमीटरकेसंयोजननाकरघरेलूतथाअघरेलूसंयोजनमेंविगतकईवर्षोसेजलापूर्तिकीजारहीहैजोप्रावधा नोंकेअनुसारनहींथा।

कार्यालयअधिशासीअभियन्ता, अनुरक्षणखण्ड, उत्तराखण्डजलसंस्थान, हरिद्वारकीलेखापरीक्षा (माह 10/2020) मेंपायागयाकिखण्डकेअन्तर्गतकुल 77117 मीटरविहीनसंयोजन (सितम्बर 2020 तक)कियेगयेथेजिनकाविवरणनिम्नानुसारथा :-

संयोजनकाप्रकार	कुलसंख्या	मीटरसहित	मीटरविहीन
घरेलू (domestic)	73714	0	73714
अ-घरेलू (commercial etc.)	3403	0	3403
कुलसंयोजन	**77117**	**0**	**77117**

उक्तकेसम्बन्धमेंलेखापरीक्षामेंपूछेजानेपरइकाईद्वाराबतलायागयाकिविभागीयस्तरपरमीटरलगानेकीप्रक्रि याविचाराधीनहै।खण्डकाउत्तरमान्यनहीथाक्योकिआवेदनकरनेवालोकोहीजलसंयोजनदियाजारहाथाअर्था त्अधिकसेअधिकघरों/प्रतिष्ठानोंको मीटर सहितजलसंयोजनहेतुसंस्थानद्वाराकोईप्रयासनहीकियाजारहाथा।जलसंस्थानएकस्वायत्तसंस्थाहैकार्यालय केव्ययभारप्राप्तराजस्वपरनिर्भरहै।हरिद्वारजिलेमेंउत्तराखण्डराज्यबननेकेबादग्रामीणएवंशहरीसभीक्षेत्रोंमें तेजीसेजनसंख्याबढ़ीहैएवंआवासीयतथाव्यापारिकगतिविधियोंमेंकाफीतेजीआयीहैयदिसंस्थानद्वारा 14वेंवित्तआयोगएवं UP Water Supply and Sewerage Act 1975 केप्रावधानोंकाकड़ाईसेपालनकियाजाताएवंशतप्रतिशतमीटरसंयोजनकाप्रयासकियाजातातोसंस्थानकेरा जस्वमेंबढ़ोत्तरीसेइनकारनहीकियाजासकताथा।
प्रकरणउच्चाधिकारियोंकेसंज्ञानमेंलायाजाताहै।

भाग- II (ब)

प्रस्तर 3:- अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये Temporary Imprest की धनराशि `4.22 लाख की समायोजन/वसूली नही किया जाना।

कार्यालयअधिशासीअभियन्ता,अनुरक्षणखण्ड,उत्तराखण्डजलसंस्थान,हरिद्वारकीनमूनालेखापरीक्षा(माह 10/2020)मेंपायागयाकिकार्यालयकेअन्तर्गतविभिन्नअधिकारियों/कर्मचारियोंकोवर्ष 2018-19 केदौरानTemporary Imprestप्रदानकियागयाथापरन्तुवर्ष 2018-19 मेंदियेगयेTemporary Imprestकोदोवर्षव्यतीतहोनेकेउपरान्तभीसम्बन्धितअधिकारियोंद्वारानतोसमायोजनप्रस्तुतकियागयाथा औरनहीकार्यालयद्वाराउक्तकेवसूलीकीकार्यवाहीसुनिश्चितकीगयीथीजिसकाविवरणनिम्नवत्थाः-

Namr of the officer	Year	Debit `	Credit `	Balance `
Binder Kumar	2018-19	55920.00	NIL	55920.00
HimanshuTyagi	2018-19	307406.00	NIL	307406.00
Rakesh Kumar Chauhan	2018-19	58317.00	NIL	58317.00
Total				**421643.00**

उक्तकेसम्बन्धमेंइंगितकियेजानेपरतथ्योंकीपुष्टिकरतेहुयेइकाईद्वाराअवगतकरायागयाकिसम्बन्धितअधिकारियोंसेवसूलीसमायोजनकीकार्यवाहीशीघ्रहीकीजायेगी।इकाईकेउत्तरसेस्वयंलेखापरीक्षाआपत्तिकीपुष्टि होतीहैकिवर्ष 2018-19 मेंदियेगयेTemporary Imprestकोदोवर्षव्यतीतहोनेकेउपरान्तभीसम्बन्धितअधिकारियोंद्वारानतोसमायोजनप्रस्तुतकियागयाथा औरनहीकार्यालयद्वाराउक्तकेवसूलीकीकार्यवाहीसुनिश्चितकीगयीथी।

अतःअधिकारियों/कर्मचारियोंकोदियेगयेTemporary Imprestकीधनराशि`4.22 लाखकीसमायोजन/वसूलीनहीकियेजानेकाप्रकरणसंज्ञानमेंलायाजाताहै।

भाग-।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनोंकेअनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II(अ)	भाग –II(ब)
1.	45/2010-11	-	01,02
2.	85/2014-15	-	01
3.	45/2016-17	-	01,02,03,04
4.	74/2019-20	-	01,02,03,04

विगतनिरीक्षणप्रतिवेदनोंकेअनिस्तारितप्रस्तरोंकीअनुपालनआख्या

निरीक्षण प्रतिवेदनसंख्या	प्रस्तरसंख्या		अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल कीटिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग-II(अ)	भाग –II(ब)			
45/2010-11	-	01,02	अनुपालन आख्या महालेखाकर कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।	शून्य	शून्य
85/2014-15	-	01			
45/2016-17	-	01,02,03,04			
74/2019-20	-	01,02,03,04			

भाग-IV

इकाईकेसर्वोत्तमकार्य

--- शून्य ---

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान, हरिद्वार**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-**शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री नरेश पाल सिंह	अधिशासी अभियंता	01.04.2019 से 21.09.2020 तक
02.	श्री राजीव सैनी	अधिशासी अभियंता	22.09.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान, हरिद्वार**को इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल,"महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195** को प्रेषित कर दी जाये ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSUs)